आर.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00351

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः–साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

अंन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :– 91/2019 (जुबेदा बनाम जाकिर वगैरह)

निर्णय दिनांक :– 13.09.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिकी दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.09.2022 के अनुसार ग्राम ग्राम पीथूसर पटवार हल्का ओरवरी की सरहद में स्थित भूमि गत ख0न0 37 रकबा 14 बीधा 6 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 258 रकबा 1.20 है0, ख0न0 259 रकबा 2.42 है0 भूमि में 1/3 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1978 के अनुसार मंगतु के वारिस की हैसियत से वादिया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 13.09.2022 को जारी की गई।

13/9/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 91/2019

जुबेदा पत्नी बाबू जाति मुसलमान निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।

वादी

बनाम

1. जाकिर पुत्र हनीफरया जाति फकीर निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
2. जीवणी पुत्री असगर जाति सिक्का निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
3. भंवरअली पुत्र असगर जाति सिक्का निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
4. मजीद पुत्र हनीफरया जाति फकीर निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
5. महेन्द्रसिंह पुत्र जीवनसिंह जाति राजपूत निवासी बालरासर तहसील व जिला चुरू
6. युसुफ पुत्र सलाउदीन जाति काजी निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
7. यास्मीन पत्नी सली जाति काजी निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
8. रोशनअली पुत्र सलाउदीन जाति काजी निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
9. श्योकतअली पुत्र मुमताजरया जाति काजी निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
10. सकीना पत्नी असगर जाति सिक्का निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
11. सलीम पुत्र हनीफरया जाति फकीर निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
12. हफीज अली पुत्र असगर जाति सिक्का निवासी पीथूसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुझुनू

प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री विनोद कुमार गिल
वकील प्रतिवादी –

दावा बाबत घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 13.09.2022

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम पीथुसर पटवार हल्का गोखरी की सरहद में भूमि गत ख0न0 37 रकबा 14 बीघा 6 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 258 रकबा 1.20 है0, ख0न0 259 रकबा 2.42 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि हनीफस्या पिता दीना की खातेदारी काश्तकारी की भूमि रही है। हनीफस्या ने अपने जीवनकाल में मंगतु पुत्र भूरा जाति मुसलमान सिक्का निवासी पीथूसर को गत ख0न0 37 रकबा 14 बीघा 6 बिश्वा भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि दिनांक 06.07.1978 को विक्रय कर दिया तथा विक्रय पत्र उप पंजीयक झुझुनू के यहां

दीक करवा दिया। इस प्रकार मंगतु पुत्र भूरा उक्त भूमि के 1/3 हिस्से का हिस्सेदार हो गया। दिया का निकाह मंगतु पुत्र भूरा से हुआ था। मंगतु पुत्र भुरा की मृत्यू हो चुकी है जिसके कोई सन्तान नहीं थी। मंगतु की मृत्यू हो जाने के पश्चात जुबेदा का निकाह बाबु पुत्र गुट्टु से हो गया। मंगतु की मृत्यु हो जाने के उपरान्त वादिया मंगतु की क्रय की गई भूमि को काश्त करने लगी व आज भी काबिज काश्त कर रही है। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1978 को तस्दीक होने के उपरान्त भी उसका नामान्तरकरण मंगतु के नाम दर्ज नहीं हुआ। इस प्रकार आज भी उक्त क्रयशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण के नाम चला आ रहा है। अंत में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि गत ख0न0 37 रकबा 14 बीघा 6 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 258, 259 कुल किता 2 कुल रकबा 3.62 है0 भूमि के 1/3 हिस्सा भूमि विक्रय पत्र 07.07.1978 के आधार पर खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पांबद फरमाया जावे कि वे वादी को उसके हिस्से की भूमि पर से जबरन बेदखल ना करें वादी के उपयोग उपभोग में बाधा कारित ना करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 बाद तामील अनुपस्थित। प्रतिवादीगण की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुसार सिद्दि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जवाब देही पूर्ण होने पर वादी की ओर से वाद के समर्थन में साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत 14 डाले गये। साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी को विक्रय पत्र 07.07.1978 के आधार पर खातेदार काश्तकार धोषित किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। तमाम साक्ष्य सबूतों तथ्यों एवं दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादिया के पति मंगतु द्वारा दिनांक 07.07.1978 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हनीफस्या से वादग्रस्त भूमि क्रय की है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में वादिया के पति के नाम दर्ज नहीं होना विधिक त्रुटि रही है। इस प्रकार वादिया मंगतु द्वारा अर्जित सम्पति के विधिक वारिस होने की हैसियत से उनके द्वारा क्रय की गई भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारी है। वादिया द्वारा अपने पति मंगतु द्वारा क्रय की गई भूमि में उनके वारिसान की हैसियत से खातेदार काश्तकार धोषित फरमाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। समस्त साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम पीथूसर पटवार हल्का [illegible] [illegible] की सरहद में स्थित भूमि गत ख0न0 37 रकबा 14 बीधा 6 बिश्वा जिसके हाल ख0न0 258 रकबा 1.20 है0, ख0न0 259 रकबा 2.42 है0 भूमि में 1/3 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1978 के अनुसार मंगतु के वारिस की हैसियत से वादिया को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

13– राजस्थान सरकार [illegible]